

## प्रेस नोट

- पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 17.10.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0-313/25 धारा 137(2)/87/61(2)/351(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त साहब सिंह पुत्र नेकराम निवासी ग्राम बाजपेई पुरवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अ0सं0-164/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस व 3(1)/4(2) पॉक्सो एक्ट धारा से संबंधित अभियुक्त देवेश पुत्र अखिलेश निवासी ग्राम कड़ेरे थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-366/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त जसवन्त शंखवार पुत्र शिवराज सिंह निवासी जगदीशपुर खानपुर रोड थाना मंगलपुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अ0सं0-308/25 धारा 115(2)/117(2)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त नन्है उर्फ दिनेश पुत्र किशन निवासी प्रतापपुर खास थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्ता श्री मती उर्मिला पत्नी स्व0 जितेन्द्र उर्फ कुन्नु निवासी ग्राम नरिहा थाना अकबरपुर कानपुर देहात उम्र करीब 50 वर्ष के कब्जे से 19 अदद क्वाटर जानेमन देशी ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 465/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियाँ पुलिस द्वारा अभियुक्त मान सिंह पुत्र स्व0 मोहन सिंह निवासी आर्यनगर 01 थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 58 वर्ष की दुकान से 49.9 कि0ग्रा0 अवैध आतिशबाजी/पटाखे बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 188/2025 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त मुकीम अहमद पुत्र नसीम अहमद निवासी आजाद नगर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 35 वर्ष के घर से 218 कि0मी0 अवैध आतिशबाजी/पटाखे बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0173/2025 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्त सागर सचान पुत्र लालबहादुर सचान उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कानाखेडा थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 01 अदद तमन्चा देशी 315 बोर नाजायज व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 51/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 27 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रूरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01, व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01, व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 01, व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 06, व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 03, व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।